निर्णय ब इजलास डॉ॰ जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस॰ जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या : 84/2025 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

1. नानूराम पुत्र मानाराम जाति जाट
2. मदन लाल पुत्र स्व॰ श्री दानाराम जाति जाट

निवासियान ग्राम शेरावतपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर ।

प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री अशोक कुमार आर॰ए॰एस॰ उपखण्ड अधिकारी रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर ।
2. भोलू पुत्र टोडिया जाति जाट
3. नारायण पुत्र टोडिया जाति जाट
4. रामनाथ पुत्र टोडिया जाति जाट
5. काना पुत्र टोडिया जाति जाट

निवासियान ग्राम शेरावतपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र बाबत उपखण्ड अधिकारी रामपुरा डाबडी के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 104/2024 व टी आई प्रार्थना पत्र संख्या .../2024 ब उनवानी भोलू बनाम अर्जुन व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करने बाबत।

उपस्थित –

1. श्री रामअवतार शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
2. श्री सुरेश कुमार चाहर अधिवक्ता अप्रार्थी 2 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 23.01.2025

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी रामपुरा डाबडी के समक्ष प्रकरण संख्या 104/2024 व टी आई प्रार्थना पत्र संख्या .../2024 ब उनवानी भोलू बनाम अर्जुन व अन्य विचाराधीन है जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर प्रार्थीगण ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी रामपुरा डाबडी से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवता श्री सुरेश कुमार चाहर ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया।

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के रीडर द्वारा पीठासीन अधिकारी व प्रार्थीगण के अधिवक्ता को मुगालते में रखते हुये दिनांक 24.09.2024 को जबाब बन्द कर दिया तथा दिनाक 04.11.2024 को प्रार्थीगण को बगैर सुने एक पक्षीय प्रारिम्भक डिक्री जारी कर दी गई। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायिक प्रकियात्मक सिद्वान्तों का पालन नहीं किया गया । दीवानी प्रकिया संहिता के आदेश 7 सी पी सी मे स्पष्ट रूप से उलेखित किया है कि प्रतिवादीगण को सम्मन के साथ वाद व प्रार्थना पत्र की कापी संलग्न कर भिजवायी जावे, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र सम्मन की प्रति ही प्रार्थीगण को प्रदान की गई तथा वाद पत्र व प्रार्थना पत्र के मीमों की कापी आज दिवस तक प्रार्थीगण व उनके अधिवक्ता को नहीं दिलवायी गई। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकियात्मक सिद्वान्तों की अवहेलना कर प्रार्थीगण को बगैर सुने आदेशिका में भी प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के अधिवक्ता के बारे में दिनांक 04.11.2024 को ना तो उपस्थिति दर्ज की और ना ही अनुपस्थिति दर्ज की इससे भी साफ जाहिर होता है के अधीनस्थ न्यायायल द्वारा न्यायिक विवेक के बाहर जाकर एक पक्षीय प्रारिम्भक डिक्री जारी की है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 के पूर्वज टोड उर्फ टोडिया पुत्र बोदू के द्वारा अपने भाई कुम्भा व झूंथा के साथ एक परिवारिक समझोता पत्र दिनांक 17.05.1959 ईस्वी को निष्पादित किया गया है। उक्त पारिवारिक समझोता अनुसार वादग्रस्त आराजीयात के सम्पूर्ण हिस्से पर दिनांक 17.05.1989 ईस्वी से प्रार्थीगण व अन्य प्रतिवादीगण जो कभी व झूंथा पुत्रान बोदू के वारिस है, के कब्जे काश्त में है तथा उपयोग व उपभोग करते आ रहे है। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 बहुत ही चालाक किस्म के व्यक्ति है । पारिवारिक समझोता पत्र के अनुसार अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 के पिता टोडिया व कुम्भा व झूंथा के चाचा रतना पुत्र लादू जो ना औलाद था उसकी सारी सम्पत्तियों का मालिक टोडिया के हिस्से में रखना तय हुआ तथा बोदू के हिस्से की भूमि पर कुम्भा व झूंथा का कब्जा काश्त रखने का तय हुआ। चूंकि टोडिया पुत्र बोदू के नाम खातेदारी में नाम आने के कारण उक्त पारिवारिक समझोता पत्र निष्पादित किया गया था । टोडिया पुत्र बोदू के वारिसान हाल अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 ने चालाकी पूर्ण तरीके से रतना पुत्र लादू के हिस्से की भूमि की रजिस्ट्री के जरिये अपना नाम गुपचुप तरीके से हस्तान्तरण करवा लिया । इस पर अप्रार्थीगण ने कई बार अप्रार्थीगण को पारिवारिक समझोता अनुसार भूमि अपने नाम करवाने के लिए कहा तो अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 ने कहा कि आपका कब्जा काश्त है। अभियानों में सहमति से आपके नाम दर्ज करवा देंगे, किन्तु अप्रार्थीगण के मन में बेईमानी आ जाने के कारण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तकास्मा का दावा मात्र प्रार्थीगण व अन्य प्रार्थीगण व अन्य सह खातेदारों को बेदखल करने की गरज से प्रस्तुत किया गया है, जबकि वादग्रस्त आराजीयात से अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 का कोई लेना देना नहीं है तथा यत केन प्रकारेण अधीनस्थ न्यायालय के कर्मचारी को अपने प्रभाव में लेकर कानूनी सिद्वान्तों के विपरीत जाकर एक पक्षीय दिनांक 4.11.2024 को प्रारम्भिक डिक्री जारी करवायी

जिला कलक्टर
जयपुर

है। उपरोक्त प्रकार से प्रार्थीगण को अप्रार्थी संख्या 1 से कतई न्याय प्राप्त करने की उम्मीद नहीं है तथा अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के रीडर व अन्य कर्मचारियों को अपने प्रभाव में लेकर प्रतिवादी संख्या 29 नाथू पुत्र गीदाराम जिसका देहान्त दिनांक 15.05.2021 को ही हो गया था । उक्त व्यक्ति की तामील मान कर मृतक व्यक्ति के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की गई तथा उक्त व्यक्ति दावा दायरी से पूर्व ही फोत हो चुका था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय के मातहत कर्मचारियों द्वारा व अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 से सांठगांठ कर मृतक व्यक्ति की तामील दर्शित कर एक पक्षीय आदेश पारित करवा लिया । इस प्रकार प्रार्थीण को अधीनस्थ न्यायालय से न्याय मिलने की कतई उम्मीद नहीं रही है। अतः उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि प्रार्थी ने प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब किये जाने की मंशा से काल्पनिक, मिथ्या व मनघढन्त आरोप लगा कर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः इस मुन्तकिल प्रार्थना पत्र को भी खारिज फरमाया जावे।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है। प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। प्रार्थी ने केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो सही नहीं है। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त मोहन सिंह बनाम दलपत सिंह 1984 RRD 501, राधेलाल बनाम बसन्ती लाल 1986 RRD-18 एवं मुरलीधर बनाम रामस्वरूप 1980 RRD (NSU) 61 में भी यह माना गया है कि मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नहीं है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थीगण द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामपुरा डाबडी को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

निर्णय आज दिनांक 23.01.2025 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner